**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5198/2005/बारां**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

**....अपीलार्थी**

**बनाम**

1. ब्रह्मानन्द पुत्र गंगाराम **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
 1/1. नन्दबाई बेवा ब्रह्मानंद
 1/2. लीलाधर
 1/3. चन्द्रकलां
 1/4. गायत्री
 1/5. जितेन्द्र
 1/6. धमेन्द्र
 1/7. सुणना
 1/8. ज्योति
 –पुत्र व पुत्रियां स्वर्गीय ब्रह्मानन्द
 1/9. राजकुमार
 1/10. रमेश
 –पुत्रगण ब्रह्मानंद नाबालिगान जरिये संरक्षक वली माता नंदबाई बेवा ब्रह्मानंद
 –समस्त जाति मेहर निवासीगण अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
2. रघुनाथ पुत्र गंगाराम – नाम तर्क

**......प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड पीठ**
**श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य**
**श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्रीमती पूनम माथुर, अति.राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः– 17–02–2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 511/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19-07-2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां के समक्ष राज्य सरकार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 बाबत ग्राम अन्ता स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 1194 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1196 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 1198 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि के क्रम में अधिनियम की धारा 42-बी का उल्लंघन होने के कारण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर विचारण न्यायालय ने 5 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को विरचित कर आज्ञा दिनांक 28-02-2001 पारित करते हुए प्रश्नगत रकबे को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने आज्ञा दिनांक 19-07-2001 पारित करते हुए विचाराधीन अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार ने यह हस्तगत अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की हैं

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विपक्षी की अपील संधारण योग्य नहीं थी, क्योंकि आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया तथा क्रेता को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश कर दी गई थी। उनका कहना है कि प्रत्यर्थीगण जो कि भूमि के विक्रता थे, इस कारण उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। उनका तर्क है कि विक्रेता ने अपने सभी अधिकार अवैध विक्रय द्वारा कब्जे सहित अन्तरण कर दिया था। इसके

अतिरिक्त स्वयं विक्रेता ने प्रश्नगत रकबे का विक्रय नहीं किया हो ऐसा कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह अविधिक होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-07-2001 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-02-2001 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कहा कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया तथा बताया कि मामले में निष्पादित विक्रय विलेख को किसी भी तथ्य से साबित नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विधिक प्रावधानों के तहत पारित किए जाने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत रूप से पारित आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश द्वितीय अपील में नहीं किया गया है, जिसके आधार पर विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। उक्त स्थिति में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उसे खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटिकारित नहीं की है। अतः मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा पेश हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होना निर्धारित होती है। अन्त में उन्होंने हस्तगत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19-07-2001 को पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 18-10-2005 को पेश की है। अर्थात राज्य सरकार ने आलोच्य अपील लगभग 4 वर्ष से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद पेश की। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। हमारे द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों का विस्तार से विश्लेषण किया है। बाद विश्लेषण हम यह पाते है कि प्रार्थना पत्र में अंकित उद्धरण इस प्रकार के प्रतीत नहीं होते है, जिनके आधार पर आलोच्य अपील लगभग 4 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद दायर किया जाना प्रदर्शित होता हो।

8. हमारी राय में द्वितीय अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए यह कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं है। हम यहां पर परिसीमा के बिन्दु पर पूर्व में मण्डल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णयों में प्रतिपादित निम्न सिद्धान्तों का भी उल्लेख करना उचित समझते हैः-

-2002 आरआरटी पेज 33 में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह प्रतिपादित किया है :

> Limitation Act, 1963 - Sec. 5 - In this appeal Rajasthan State has filed this appeal after the period of limitation - The appellant has filed an application under Sec. 5 of Limitation Act for condoning delay with the appeal - After careful consideration of various authorities of High Court and Supreme Court it was held that delay can be condoned only when there is satisfactory explanation given in the application and affidavit of the appellant- But where there is no satisfactory and reasonable explanation of delay the delay cannot be condoned by Courts as held in AIR 1998 S.C. 2276 - After consideation of the reason given in the application filed under Sec. 5 of Limitation Act there is no

> satisfactory explanation for filing appeal after the period of limitation- The appeal filed by appellant is hopelessly time barred- Hence appeal was refused as time barred.

–2011 आरबीजे पेज 352 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है :

> Indian Limitation Act. 1963 Sec. 5 - Condonation of delay- when no sufficient cause has been made out for condonation of delay it cannot be condonation .

इसी प्रकार एआईआर 1998 एससी 2276 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया हैः–

> Limitation Act 1963, S. 5 - Delay - Condonation of Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute- Courts have no power to extened period of limitation on equitable grounds.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में 4 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद प्रस्तुत द्वितीय अपील को परिसीमा के बिन्दु पर क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है। सांराशतः वर्तमान में हम अपीलार्थी की द्वितीय अपील को गुणावगुण के बिन्दु पर विवेचित करना उचित नहीं समझते है। अतः हम द्वितीय अपील को परिसीमा के बिन्दु पर ही निरस्त करना न्यायोचित समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वर्तमान द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–07–2001 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)**
**सदस्य**

**(विनीता श्रीवास्तव)**
**सदस्य**